छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक: 07 दिसम्बर, 2010 को अपराह्न 12:30 बजे सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की आपात बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये: -

1.	प्रो0 हर्ष कुमार सहगल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 नन्दलाल	सदस्य
3.	प्रो0 संजय श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 मृदुला भदौरिया	सदस्या
5.	डॉ0 संजय स्वर्णकार	सदस्य
6.	डॉ0 सुदेश कुमार	सदस्य
7.	डॉ0 संदीप कुमार सिंह	सदस्य
8.	प्रो0 ए0एल0 जाटव	सदस्य
9.	प्रो0 मुकेश रंगा	सदस्य
10.	डॉ0 अंशु यादव	सदस्या
11.	डॉ0 निरंजन सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 सुशीला देवी सरोज	सदस्या
13.	डॉ0 आर0के0 आर्या	सदस्य
14.	डॉ0 जहान सिंह यादव	सदस्य
15.	श्री एस0सी0 मुदगल, वित्त अधिकारी	सदस्य
16.	श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव	सचिव

-:-:- -:-:-:-:-:-:-

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यपरिषद के समस्त उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद सं0-1(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यपरिषद की आपात बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में परिषद को सर्वप्रथम यह अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की सेमेस्टर परीक्षाएं 01 दिसम्बर, 2010 से निर्धारित थी, परन्तु यू0आई0ई0टी सहित विश्वविद्यालय परिसर के अन्य स्ववित्तपोषित संस्थान/विभागों के शिक्षकों द्वारा उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन/मानदेय दिये जाने की मांग को लेकर 01 दिसम्बर, 2010 से ही परीक्षा कार्य बाधित करते हुए हड़ताल पर जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह

भी अवगत कराया गया कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को छठे वेतनमान के अनुरूप वेतन/मानदेय दिये जाने का प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर आहूत बैठकों में विचार किया गया है तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के उपरान्त ही इन शिक्षकों को छठे वेतनमान की संस्तुतियां अनुमन्य की जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि प्रत्येक शिक्षक की सेवा शर्तों में पठन-पाठन, समयान्तर्गत परीक्षा सम्पन्न कराना शामिल है। परिषद को यह भी अवगत कराया कि हड़ताल पर गये शिक्षकों से वार्ता के दौरान स्वयं उनके स्तर तथा प्रति कुलपति एवं कुलसचिव के स्तर से भी, छठे वेतनमान अनुमन्य कराये जाने सम्बन्धी समस्त तथ्यों से अवगत कराया जा चुका है। फिर भी स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों द्वारा परीक्षा कार्य बाधित किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय ने परिषद के समस्त सदस्यों को उक्त के दृष्टिगत यह भी अवगत कराया कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि छठा वेतनमान शासन स्तर से अनुमति के उपरान्त ही दिया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय इस दिशा में त्वरित कार्यवाही हेतु गम्भीर भी है, तो परिसर स्थित संस्थानों के शिक्षकों द्वारा की गयी हड़ताल तथा बाधित की गयी परीक्षाएं प्रासंगिक एवं तर्कसंगत नहीं कही जा सकती है। सेमेस्टर परीक्षाओं का पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार बाधित होने से छात्रों के प्लेसमेंट एवं साक्षात्कार आदि भी प्रभावित होंगे।

अतएव, सत्र नियमितीकरण एवं छात्रों के वृहद हित में माह दिसम्बर, 2010 में संचालित होने वाली परीक्षाओं के संचालन हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद के समस्त सदस्यों से सुझाव/मत मांगे गये।

प्रकरण पर विस्तृत विचारोपरान्त कार्यपरिषद के अधिकांश सदस्यों द्वारा निम्नांकित विनिश्चय किये गये।

1. यह कि हड़ताल पर गये शिक्षकों से छात्रहित में समयान्तर्गत परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु जोर देते हुए परिषद की ओर से पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

2. यह कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को छठे वेतनमान का लाभ दिये जाने की परिषद की संस्तुति के साथ प्रकरण को उ0प्र0 शासन एवं महामहिम कुलाधिपति को त्वरित निर्णय हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

3. यह कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत प्रत्येक शिक्षक से लिखित रूप से दिनांक: 11.12.2010 तक यह ज्ञात कर लिया जाए कि वे छठें वेतनमान के अनुरूप वेतन दिये जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर है अथवा नहीं?

4. यह कि जिन शिक्षकों से यह लिखित सूचना निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाए कि वे हड़ताल पर है तो सम्बन्धित शिक्षकों के विरूद्ध "नो वर्क, नो पे" (काम नहीं, तो वेतन नहीं) लागू किया जाए।

5. परन्तु यदि शिक्षक आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए परीक्षा कार्य बाधित कर रहें है एवं हड़ताल पर रहते हैं तो उनके विरूद्ध विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तिम विकल्प के रूप में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

अन्त में परिषद ने सर्वसम्मत से यह मत व्यक्त किया कि यदि उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भी निर्धारित कार्यक्रमानुसार परीक्षाएं सम्पन्न नहीं करायी जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपने स्तर से परीक्षाएं सम्पन्न करा ली जाए, जिससे कि परिसर में अध्ययन छात्र/छात्राओं के हित प्रभावित न हो सके।

मद सं0–1(ख)(i) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त उपाचार्य डॉ0 आर0आर0 शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–7177/2010 में पारित आदेश दिनांक: 17.02.2010 के अनुपालन में कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत डॉ0 शर्मा को प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति दिये जाने हेतु चयन समिति के सम्मुख बुलाया गया।

पुनः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदश दिनांक: 08.11.10 के अनुपालन में तथा चयन समिति में उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियो के आलोक में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि चयन समिति की सस्तुतियों को यदि विश्वविद्यालय स्तर पर अनुमोदित किया जाना है तो विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए इस पर कार्यवाही हेतु कार्यपरिषद के प्रो0 नन्द लाल, सदस्य, प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, प्रो0 मुकेश रंगा, सदस्य तथा डॉ0 जहान सिंह यादव, सदस्य को अधिकृत किया गया तथा तदुनुसार माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता को भी सूचित किया जाए।

मद सं0–1(ख)(ii) विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्त उपाचार्या डॉ0 कमला द्विवेदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या– 14017/2010 में पारित आदेश दिनांक: 18.03.2010 के अनुपालन में कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति दिये जाने हेतु चयन समिति के सम्मुख बुलाया गया।

इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा मद संख्या–1(ख)(i) में लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

(हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति/अध्यक्ष

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव/सचिव